

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संकाय व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म को तामील  
में जारी हुए

13/11/2017

APP 340  
गै.सा. अनु०  
पूर्व आदेशानुसार पालना होकर पत्रपत्नी दिनांक  
13/12/2017 को पेश हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

13/12/17

APP 340  
पत्नी गै.सा. 340  
पत्रपत्नी का आवलोकन किया। साथल द्वारा अपी  
प्राथमिक पत्र में गै.सा. के विकरू तीन प्रकार होने  
का उल्लेख किया है, जो और ट्रायल है। उक्त  
तीनों ही प्रकारों IPC से संबंधित हैं। प्रकरणों  
में गै.सा. के किली की न्यायालय द्वारा केष  
लिफ्ट घोषित नहीं किया है। इस स्थिति में साथल  
द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक पत्र पोषणीय नहीं पाया  
जाता है। अतः साथल द्वारा प्रस्तुत इतनासा  
सारभिन होने से शोरिम किया जाता है। पत्र  
कैसल में सुमर होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली